रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12112026-277864
CG-DL-E-12112026-277864

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5882] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 9, 2026/कार्तिक 18, 1948
No. 5882] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 9, 2026/KARTIKA 18, 1948

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2026

का.आ. 6115(अ).— केंद्रीय सरकार वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) की धारा 37 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा तत्कालीन परिवहन और संचार मंत्रालय, भारत सरकार के भारत के राजपत्र का.आ. संख्या 380 तारीख 9 फरवरी, 1961 में प्रकाशित अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, नीचे दी गई सारणी के अनुसार जलयानों की विभिन्न श्रेणियों द्वारा धारित उचित राष्ट्रीय ध्वज की घोषणा करती है तथा उनके माप तथा विशिष्टियां इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुबंध के अनुसार होंगी, अर्थात्:—

सारणी

क्र.सं.	जलयान की श्रेणी	उचित राष्ट्रीय ध्वज	परिस्थितियां और शर्तें, यदि कोई हों
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	भारतीय जलयान, अर्थात् वाणिज्य पोत परिवहन	लाल पताका।	शून्य।

	अधिनियम, 2025 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत जलयान।		
2.	भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के जलयानों के अलावा सरकार के स्वामित्व वाले जलयान (चाहे वे वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत हों अथवा न हों)	केंद्रीय सरकार द्वारा यथाअनुमोदित संबंधित सरकारी विभाग, प्राधिकरण या संगठन के ऐसे बैज (प्रतीक-चिह्न) से अध्यारोपित नीला पताका।	बैज का उपयोग केंद्रीय सरकार के अनुमोदन के पश्चात ही किया जाएगा, और ऐसे अनुमोदन के लिए आवेदन महानिदेशक, मैरीटाइम प्रशासन के माध्यम से किया जाएगा। इस अधिसूचना के प्रारंभ होने से पूर्व अनुमोदित बैज का उपयोग कर रहा कोई विभाग, प्राधिकरण या संगठन उस बैज का उपयोग जारी रख सकेगा।
3.	रक्षा मंत्रालय से आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाले और अनन्य रूप से उसकी सेवा में प्रचालित भारतीय वाणिज्यिक जलयान।	नौसेनाध्यक्ष के अधिपत्र (वारंट) द्वारा प्राधिकृत बैज से अध्यारोपित नीली पताका।	बैज का उपयोग नौसेनाध्यक्ष के अधिपत्र (वारंट) द्वारा प्राधिकृत होना आवश्यक है, और ऐसे प्राधिकरण के लिए आवेदन सीधे नौसेनाध्यक्ष को किया जाएगा।

उपाबंध

क्र. सं.	उचित राष्ट्रीय ध्वज	उचित ध्वज	माप
1.	लाल पताका		ध्वज की लंबाई उसकी चौड़ाई की डेढ़ गुनी होगी।
2.	नीला पताका		(i) ध्वज की लंबाई उसकी चौड़ाई की डेढ़ गुनी होगी; (ii)बैज का माप ध्वज की कुल चौड़ाई के तीसवें हिस्से के तेरहवें भाग (13/30वें हिस्से) के बराबर माप वाले वृत से अधिक नहीं होना चाहिए।

स्पष्टीकरण— इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ,—

(क) **'लाल पताका'** से ऐसा लाल ध्वज अभिप्रेत है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की डेढ़ गुनी हो, तथा जिसके ध्वज-दंड से लगे ऊपरी भाग (अपर कैंटन) में भारत का राष्ट्रीय ध्वज लगा हो, जो भारतीय ध्वज संहिता, 2002 में विनिर्दिष्ट अनुपातों और डिजाइन को बनाए रखता हो;

(ख) '**नीली पताका**' से ऐसा गहरा नीला (रॉयल ब्लू) ध्वज अभिप्रेत है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की डेढ़ गुनी हो, तथा जिसके ध्वज-दंड से लगे ऊपरी भाग (अपर कैंटन) में भारत का राष्ट्रीय ध्वज लगा हो, जो भारतीय ध्वज संहिता, 2002 में विनिर्दिष्ट अनुपातों और डिजाइन को बनाए रखता हो;

(ग) '**अध्यारोपित**' से ध्वज के खुले छोर वाले आधे भाग (फ्लाई हाफ) के केंद्र में हल्के सुनहरे रंग के बैज का लगाया जाना अभिप्रेत है, जिसका माप, ध्वज की चौड़ाई के तीसवें हिस्से तेरहवां (13/30वें हिस्से) भाग के बराबर व्यास वाले वृत्त के माप से अधिक नहीं होगा।

[फा. सं. एसआर-2002/5/2020-एमएल(iv)]

वेंकटेसपति एस, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th November, 2026

S.O. 6115(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 37 of the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025), and in supersession of the notification published in the Gazette of India in the erstwhile Ministry of Transport and Communications, Government of India, vide number S.O. 380, dated the 9th February, 1961, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby declares the proper national colours worn by different categories of vessels as per the Table below and the dimensions and specifications thereof shall be as per the Annexure appended to this notification, namely: -

TABLE

Sr. No.	Category of vessel	Proper national colours	Circumstances and conditions, if any
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Indian vessels, that is to say, vessels registered under the Merchant Shipping Act, 2025.	Red Ensign.	Nil.
2.	Vessels owned by the Government (whether registered under the Merchant Shipping Act, 2025 or not), other than vessels of the Indian Navy and the Indian Coast Guard.	Blue Ensign overlaid by such badge of the concerned Government department, authority or organisation as may be approved by the Central Government.	The badge shall be used only after approval of the Central Government, and an application for such approval shall be made through the Director-General of Maritime Administration. A Department, authority or organisation already using a badge approved before the commencement of this

			notification may continue to use that badge.
3.	Indian merchant vessels in receipt of a subvention from the Ministry of Defence and operating exclusively in its service.	Blue Ensign overlaid by a badge authorised by the Warrant of the Chief of the Naval Staff.	Use of the badge must be authorised by a Warrant of the Chief of the Naval Staff, and an application for such authorisation shall be made directly to the Chief of the Naval Staff.

ANNEXURE

Sr. No.	Proper national colours	Proper flag	Dimensions
1.	Red Ensign		Length of the flag shall be one and one-half times its width.
2.	Blue Ensign		i. Length of the flag shall be one and one-half times its width; ii. Dimensions of the badge must not exceed the dimensions of a circle measuring thirteen-thirtieths of the flag's total width.

Explanation. - For the purpose of this notification, -

(a) 'Red Ensign' means a red flag having a length one and one-half times its width, with the National Flag of India placed in the upper canton next to the flagstaff, retaining the proportions and design specified in the Flag Code of India, 2002;

(b) 'Blue Ensign' means a royal blue flag having a length one and one-half times its width, with the National Flag of India placed in the upper canton next to the flagstaff, retaining the proportions and design specified in the Flag Code of India, 2002;

(c) 'overlaid' means the placement of a badge in light golden colour at the centre of the fly half of the flag, the dimensions of which shall not exceed those of a circle having a diameter equal to thirteen-thirtieths of the width of the flag.

[F. No. SR-2002/5/2020-ML(iv)]

VENKATESAPATHY S, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.